न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

::आदेश ::

क्रमांकः– 19 /अ–19(3)/2017–18/1400 बैतूल दिनांक 07/02/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित हिवरखेड़ द्वारा, राशन एवं खाद गोदाम निर्माण हेतु मौजा काजली तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 189 में से 100X100= 10,000 वर्गफुट भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2– प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित हिवरखेड़ द्वारा प्रस्तावित किए अनुसार, भूमि आवंटन के संबंध में नायब तहसीलदार मुलताई (मासोद वृत्त) द्वारा विधिवत् जॉच उपरांत अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई के माध्यम से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार हैः–

(1)– आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तावित किए अनुसार भूमि आवंटन के संबंध में नायब तहसीलदार मुलताई द्वारा हल्का पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। हल्का पटवारी के अनुसार आवेदित भूमि खसरा नंबर 189 की ना होकर खसरा नंबर 155/1, 179 मद रास्ता की है। अतः मौजा काजली स्थित खसरा नंबर 155/1, रकबा 2.031 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 179 रकबा 1.060 हेक्टेयर मद रास्ता में से आवेदित प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित किए जाने के संबंध में संबंध में विधिवत् उदघोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)– राजस्व अभिलेख के अनुसार, मौजा काजली तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 155/1, रकबा 2.031 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 179 रकबा 1.060 हेक्टेयर रास्ता मद में दर्ज है।

(3)– प्रकरण में संलग्न पटवारी प्रतिवेदन के अनुसार मौजा काजली स्थित खपसरा नंबर 155/1 रकबा 2.031 हेक्टेयर मद रास्ता, घाना मार्ग एवं खसरा नंबर 179 रकबा 1.060 हेक्टेयर भूमि मद रास्ता, सिरडी मार्ग के जोड़ पर (जहॉ दोरो रास्तो का मिलान होता है) एक पुराना प्राथमिक शाला भवन बना हुआ है, जो कि वर्तमान में क्षतिग्रस्त है। उक्त क्षतिग्रस्त प्राथमिक शाला भवन तार फेसिंग बाउण्ड्री सहित उत्तर मे 16 मीटर, दक्षिण में 25 मीटर, पूर्व में 29 मीटर तथा पश्चिम की ओर से 30 मीटर है। भवन के पूर्व की ओर सिरडी मार्ग 06 मीटर चौड़ा तथा पश्चिम की ओर घाना मार्ग 06 मीटर चौड़ा है।

(4)– प्रधानपाठक शासकीय प्राथमिक शाला काजली के पत्र दिनांक 27–6–2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, विगत कई वर्षो से प्राथमिक शाला भवन क्षतिग्रस्त है, तथा कवेलू, लकड़ी, आदि की नीलामी ग्राम पंचायत काजली द्वारा की गई है। क्षतिग्रस्त भवन होने के कारण उक्त स्थान पर कक्षाए संचालित नहीं हो रही है। वर्तमान में कक्षॉए अन्यत्र शाला भवन (नवीन) में संचालित की जा रही है।

(5)– प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित हिवरखेड़ी के पत्र दिनांक 28–12–2017 द्वारा, उक्त चयनित भूमि आवेदित प्रयोजन हेतु आवंटित करने के लिए सहमति व्यक्त की गई है, साथ ही संस्था द्वारा इस संबंध में पारित किए गए प्रस्ताव की प्रति भी प्रस्तुत की गई है।

(6)– दिनांक 2–10–2017 को ग्राम काजली में आयोजित ग्राम सभा में, मौजा काजली स्थित खसरा नंबर 155/1 रकबा 2.031 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 179 में से उत्तर दिश में 14 मीटर, दक्षिण में 25 मीटर, पूर्व में 29 मीटर एवं पश्चिम में 30 मीटर भूमि आवेदक संस्था को आवंटित किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होने का ठहराव पारित किया गया है।

(7)– नायब तहसीलदार मुलताई द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, खसरा नंबर 155/1, 179 में से उत्तर दक्षिण 16X25 मीटर एवं पूर्व पश्चिम 29X30 मीटर भूमि आवंटित किए जाने पर तिराहे के दोनो दिशाओ में 6–6 मीटर रास्ता शेष रहता है। जिससे आवागमन में कोई असुविधा नहीं होगी।

(8)– उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति के आधार पर नायब तहसीलदार मुलताई/अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई द्वारा, मौजा काजली, तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 155/1, 179

मद रास्ता में से उत्तर दक्षिण 16X25 मीटर एवं पूर्व पश्चिम 29X30 मीटर भूमि सहकारी समिति को आवंटित करने की अनुशंसा की गई है।

3— म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 6—5—2014/सात /नजूल /दिनांक 22—2—2014 द्वारा जारी निर्देश के अनुसार म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित एवं प्राथमिक विपणन सहकारी समितियों को शासकीय भूमि एक रूपए प्रब्याजि एवं एक रूपए भू—भाटक पर आवंटित करने हेतु कलेक्टर को अधिकृत किया गया है तथा कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक—1/2011/अधी./10842, दिनांक 8—11—2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांकः— 2489 दिनांक 25—2—2017 द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड— चार —एक के अन्तर्गत शासकीय भूमि अंतरण संबंधी समस्त प्रकरणो के निराकरण हेतु अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4— अतएव नायब तहसीलदार मुलताई (मासोद वृत्त) एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई के प्रतिवेदन/ अनुशंसा के आधार पर मौजा काजली प.ह.नं.116 तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 155/1, 179 मद रास्ता में से उत्तर दक्षिण 16X25 मीटर एवं पूर्व पश्चिम 29X30 मीटर भूमि (जिसे नक्शे में लालस्याही से चिन्हित किया गया है) को आबादी घोषित करते हुए, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित हिवरखेड़ को गोदाम निर्माण के प्रयोजन हेतु एक रूपया भू—भाटक एवं एक रूपया प्रीमियम पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन आवंटित की जाती है:—

(1)— आवंटित भूमि का उपयोग केवल आवेदित प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा।

(2)— भूमि पर प्रस्तावित कार्य 6 माह के भीतर प्रारंभ किया जाकर एक वर्ष में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

(3) शासन के प्रतिनिधि अधिकृत व्यक्ति तथा जिला कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग हेतु तथा शर्तो के पालन का निरीक्षण करने के लिए कभी भी भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) शर्तो का उल्लंघन पाया जाने की स्थिति में भूमि वापस लेकर पूर्वानुसार शासन में निहित की जा सकेगी।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर,
जिला—बैतूल.

पृ0क्र0:— L9 /अ—19(3)/2017—18/ 1400 बैतूल दिनांक 07/02/2018

प्रतिलिपि:—

1— अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई की ओर सूचनार्थ।

2— नायब तहसीलदार मुलताई (मासोद वृत्त) ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। राजस्व अभिलेख में यथाआवश्यक संशोधन करके संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

3— उप आयुक्त सहकारिता बैतूल की ओर सूचनार्थ।

4— जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

5— जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

6— प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित हिवरखेड़ तहसील मुलताई की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर कलेक्टर,
जिला—बैतूल

13/2/18